बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 227577 पटना, दिनांक 12/04/2015

ग्रा0वि0-14(ति0)प0चम्पा0-01/2015

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,
सचिव।

सेवा में,

श्री राम निरंजन सिंह कोटि क्रमांक 707,
डी0पी0आर0ओ0, नालंदा।
(तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, राम नगर, प0 चम्पारण)

निबंधित

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2005-06 एवं 2006-07 में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का प्रबंधन उचित रीति से नहीं करने के कारण हुई हानि के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, प0 चम्पारण से प्राप्त प्रतिवेदन की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त जिला से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार विषयांकित अवधि में आप राम नगर प्रखंड (जिला-प0 चम्पारण) में प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। वर्णित अवधि में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्न का आवंटन विभिन्न समय में आपके प्रखंड को प्राप्त हुआ था जिसका उठाव आपके माध्यम से जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के द्वारा किया गया था।

2. उपर्युक्त वर्णित योजनाओं के कार्यान्वयन के दौरान एवं बंद हो जाने के उपरांत अवशेष खाद्यान्न के निष्पादन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं काम के बदले अनाज योजना के अन्तर्गत प्राप्त खाद्यान्नों का उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजने का निदेश दिया गया (राज्य सरकार के ज्ञापांक-265 दिनांक- 07.01.2006 की छाया प्रति संलग्न)। परन्तु आपके स्तर से उन निदेशों का अनुपालन नहीं करने के कारण भारी मात्रा में खाद्यान्न संबंधित जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के पास अवशेष रह गये। जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा अब कहा जा रहा है कि खाद्यान्न के सड़ने के कारण इसे वापस नहीं किया जा सकता।

3. इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में विक्रेताओं द्वारा वाद दायर किया गया है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दोषी पदाधिकारियों को चिह्नित कर स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निदेश दिया गया है।

4. आपके प्रखंड से संबंधित जिला पदाधिकारी, प0 चम्पारण से प्राप्त अद्यतन प्रतिवेदन में दर्शायी गयी अवशेष खाद्यान्न की मात्रा एवं उसमें सन्निहित राशि निम्न प्रकार है:-

खाद्यान्न की मात्रा (क्विंटल में)	सन्निहित राशि (रुपये में)
10.25	8999.5

उक्त खाद्यान्न के भौतिक सत्यापन / संरक्षण हेतु आपके द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके फलस्वरूप 10.25 क्विंटल खाद्यान्न अवशेष रह गये।

अत: आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें कि उपर्युक्त वर्णित खाद्यान्न के रख-रखाव एवं निष्पादन में हुई त्रुटि के लिए क्यों नहीं समानुपातिक राशि वसूली की कार्रवाई की जाए।

विश्वासभाजन,

(प्रदीप कुमार) 2.4
सचिव

अनुलग्नक- यथोक्त।

क्र.	जिला	प्रखण्ड	प्र0वि0पदा0 का नाम	अवशेष खाद्यान्न	समतुल्य राशि
1	प0 चम्पारण	मझौलिया	श्री राधा किशोर झा	1660.8	2275296
2	प0 चम्पारण	मझौलिया	श्री कुमार रवि	2427.93	3326264.1
3	प0 चम्पारण	मझौलिया	श्री दिनेश कुमार, कोटि क्रमांक 885	2528.39	3463894.3
4	प0 चम्पारण	राम नगर	श्री राम निरंजन सिंह कोटि क्रमांक 707	10.25	8999.5
5	प0 चम्पारण	राम नगर	श्री कुमार विनोद	20.5	17999
6	प0 चम्पारण	बेतिया	श्री राम शंकर, कोटि क्रमांक 822	4864.43	6650736.92
7	प0 चम्पारण	बेतिया	श्री दिनेश कुमार, कोटि क्रमांक 885	4864.43	6650736.92
8	प0 चम्पारण	बैरिया	श्री मुकेश दत्त शर्मा, कोटि क्रमांक 716	1261.12	1727734.4
9	प0 चम्पारण	बैरिया	श्री जवाहर प्रसाद, कोटि क्रमांक 645	1859.56	2416879.2
10	प0 चम्पारण	चनपटिया	श्री नरेन्द्र प्रसाद सिंह	241	330170
11	प0 चम्पारण	चनपटिया	श्री विजय कुमार पाण्डेय, कोटि क्रमांक 1046/1082	240.5	329485
12	प0 चम्पारण	लौरिया	श्री हरिनारायण पासवान	482.7	661299
13	प0 चम्पारण	लौरिया	श्री सुशांत कुमार	586.46	803450.2
14	प0 चम्पारण	नौतन	श्री सुशील कुमार मिश्र	848.25	11621025
15	प0 चम्पारण	नौतन	श्री मुकुल कुमार	2070.56	28366672

Dated 27 December, 2005

To

The Secretary,
Rural Development Department,
Government of Bihar,
Patna

SUBJECT : *Transition From the SGRY and the NFFWP towards the implementation of NREGA in Districts identified.*

Sir/Madam,

The National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) will be implemented in select identified Districts in the initial stage (list enclosed). The National Food for Work Programme (NFFWP) and the Sampoorna Grameen Rozgar Yojana (SGRY) will merge in these identified Districts with the Employment Guarantee Scheme, once NREGA comes into force. In this regard, following decisions on key issues have been taken by the Government of India in order to facilitate smooth transition from the NFFWP and the SGRY towards NREGA in the identified Districts that require your immediate attention.

1. If the NREGA is notified in an area in the current financial year, the process of demand registration will start according to the Act and the Guidelines made. The demand for employment would be met from the ongoing SGRY and the NFFWP works. The funds used will be from SGRY/NFFWP accounts. But the work allotted to those who have demanded work under the EGS will be recorded as work given for purposes under NREGA. Section 3 of the Act allows this by stipulating that until the State Government notifies its EGS, the Annual Action Plan or Perspective Plan of SGRY or NFFWP which ever is in force will be deemed to be the action plan for the scheme for the purposes of the Act. For non-NFFWP district identified under NREGA, additional funds for taking up works on NFFWP pattern are being released separately. Rs.25.00 lakh for every identified 200 districts is being released for printing of Job Cards and registers prescribed.

2. Under the SGRY/NFFWP, works are not opened on demand for employment but according to a plan of infrastructure needs. Once the SGRY/NFFWP works also become instruments for NREGA, they will also absorb labour that is allotted employment on them through NREGA (after registration and Job Card and Demand process is followed). Therefore, during the transition period, SGRY/NFFWP will be employing labour both

Contd...2/-

आयुक्त एवं सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
प्राप्ति संख्या ....
दिनांक ....

under NREGA and SGRY NFFWP [illegible] more than 100 days of employment which is permissible under the Act

3. The incomplete works under the SGRY NFFWP, if any, will be allowed to be completed upto 30.6.2006 out of the balance funds available with the Districts.

4. Under the NREGA, only cash will be given. As such no foodgrains will be provided. The foodgrains authrization should terminate with the close of this financial year. Lifting of foodgrains authorized during the current year under the SGRY and the NFFWP will not be allowed next year.

5. If employment is allotted on a demand made under NREGA then wage employment should be made in cash only. This is to prevent any possible challenging of the quantum of wages paid.

6. The implementation of works under the SGRY earmarks 50% for Gram Panchayat. This is in concurrence with the mandate under the NREGA. The remaining 50% of works under NREGA can be executed by the line departments, and other Panchayat bodies. Thus, under SGRY, the allocation of 20% to District Panchayat and 30% to Intermediate Panchayat also meets the spirit of the Act to accord priority to Panchayats in implementing NREGA. Under the NFFWP implementation might involve a number of agencies. In the transition period in this financial year, if it 50% of works have not been sanctioned for execution by the Gram Panchayat by them, the districts may be instructed that if new works are started this year under the NFFWP, priority may be given to the Gram Panchayats.

7. The SGRY and the NFFWP will be closed with the end of this financial year. There would be a budget head only for the EGS.

8. In light of the above, you are requested to address these issues and issue necessary instructions to the all concerned including the Collectors and other implementing authorities to initiate prompt action accordingly. Action taken in this regard by the State Government may also be intimated to this Ministry.

Yours faithfully,

(Amita Sharma)
Joint Secretary

बिहार सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग

ज्ञापांक ______ /ग्रा०वि०पटना, दिनांक-
8(वि०वि०)40/04

प्रतिलिपि, सभी उप विकास आयुक्तों को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव ।